

# METICULOUS INVESTIGATION & PROSECUTION



#OPERATIONCONVICTION

#AMETHIPOLICE

पुलिस महानिदेशक, उ०प्र० महोदय द्वारा चलाये जा रहे Operation Conviction अभियान के अन्तर्गत चिन्हित अभियोग अमेठी पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप अपहरण के अभियुक्त को मा० न्यायालय द्वारा 04 वर्ष के कठोर कारावास एवं 10,000/- रुपये के अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

अपराध का विवरण:-

सादर अवगत कराना है कि वादी मुकदमा ने दिनांक 12.03.2023 की तहरीरी सूचना के आधार पर उपरोक्त अभियुक्त द्वारा वादी की पुत्री को बहला फुसलाकर ले जाना एवं अपनी छत पर रखना तथा उसके साथ छेड़खानी करना व जान से मारने की धमकी देना एवं जाति सूचक शब्दों का प्रयोग करने पर मु०अ०सं० 63/23 धारा 363, 354ए, 342, 506 भादवि व 7/8 पॉक्सो एवं 3(1)ख व 3(1)ए एससी/ एसटी एक्ट थाना बाजारशुक्ल जनपद अमेठी पर पंजीकृत किया गया था।

इस अभियोग में स्थानीय पुलिस व मॉनीटरिंग सेल द्वारा माननीय न्यायालय सुलतानपुर में सशक्त प्रभावी पैरवी की गयी एवं अभियोजन की कार्यवाही समयबद्ध करायी गयी जिसके फलस्वरूप दिनांक 21.02.2026 को माननीय न्यायालय एएसजे-12 सुलतानपुर द्वारा अभियुक्त को 04 वर्ष का कठोर कारावास व 10,000/- रु० अर्थदण्ड की सजा सुनायी गयी। अभियुक्त को सजा दिलाने में अभियोजन अधिकारी व पैरोकार का सराहनीय योगदान रहा।

सजा का विवरण:-

- ❑ अभियुक्त को 04 वर्ष का कठोर कारावास।
- ❑ अभियुक्त को 10,000/- रुपये अर्थदण्ड, अर्थदण्ड न अदा करने पर 01 माह का अतिरिक्त कठोर कारावास।

दोषसिद्ध अभियुक्त का नाम व पता:-

- सर्वेश यादव पुत्र रामप्रसाद निवासी विराहिमपुर बाजगढ़ थाना बाजारशुक्ल जनपद अमेठी।

एडीजीसी श्री  
विवेक कुमार सिंह

पैरोकार हे०का०  
नसीर अहमद



@amethipolice



सोशल मीडिया सेल  
अमेठी